भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1994
दिनांक 06 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

न्यूरोटेक्नोलॉजी का विकास

†1994. डॉ. डी. रवि कुमार:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने तंत्रिका अधिकारों को मान्यता देने और उनकी रक्षा करने के लिए चिली की सरकार द्वारा किए गए संवैधानिक संशोधन, जिसमें प्रौद्योगिकीय विकास के दौरान लोगों की शारीरिक और मानसिक गरिमा को बनाए रखना सुनिश्चित किया गया है, के तर्ज पर क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;
(ख) क्या सरकार का तंत्रिका प्रौद्योगिकियों के तीव्र विकास तथा इसके विविध संदर्भों, जिनमें इनका उपयोग होता है से जुड़े प्रश्नों का समाधान करने का प्रस्ताव है ताकि देश में मानकों को विकसित करने के लिए उपयुक्त तंत्रिका विज्ञान आचार नियम बनाए जा सकें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) तंत्रिका प्रौद्योगिकी की नैतिकता संबंधी प्रथम वैश्विक ढांचा विकसित करने के यूनेस्को की पहल के आलोक में तंत्रिका प्रौद्योगिकियों के लिए नैतिक मानकों को सुनिश्चित करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में सरकार की क्या भूमिका है;
(घ) क्या सरकार व्यक्तियों की न्यूरोलॉजिकल गोपनीयता की रक्षा करने के लिए कोलोराडो के हाल के कानून और इसी प्रकार के लिखत पर कैलिफोर्निया के विचार-विमर्श पर विचार करने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार ने अपने नागरिकों के लिए तंत्रिका संबंधी गोपनीयता की रक्षा करने के लिए कदम उठाए हैं/उठाने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं; और
(च) सरकार द्वारा नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तंत्रिका प्रौद्योगिकियों के मानवाधिकार आयाम पर कार्य कर रहे अंतर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (च) भारत में, वर्तमान में ऐसे कोई विशिष्ट कानून नहीं हैं जो न्यूरोटेक्नोलॉजी के विकास के संदर्भ में न्यूरो अधिकारों की सुरक्षा से स्पष्ट रूप से संबंधित हों। हालाँकि, व्यक्तिगत डेटा और गोपनीयता की सुरक्षा के लिए कुछ सामान्य कानूनी और नियामक ढाँचे हैं:

i. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 आईटी अधिनियम के तहत डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा प्रदान करता है। धारा 43क में यह अनिवार्य किया गया है कि संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा को संभालने वाली संस्थाएं इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें।

ii. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 व्यक्तिगत डेटा के संग्रह, प्रक्रिया और साझा करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है

iii. मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017 मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों वाले व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है और सहमति, स्वायत्तता और गैर-भेदभाव पर जोर देता है।

इसके अलावा, बायोमेडिकल शोध संबंधी आईसीएमआर दिशानिर्देश (2017) न्यूरोटेक्नोलॉजी सहित चिकित्सा और वैज्ञानिक अनुसंधान में नैतिक विचारों पर जोर देते हैं। आईसीएमआर ने बायोमेडिकल शोध और स्वास्थ्य परिचर्या के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए नैतिक दिशानिर्देश भी विकसित किए हैं। शोधकर्ताओं को सूचित सहमति सुनिश्चित करनी चाहिए और प्रतिभागियों की गोपनीयता की रक्षा करनी चाहिए।

****